न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 117/2009–10

श्री अब्दुल सलाम
–बनाम–
गांव सभा लक्ष्मीपुर आदि

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री एस0पी0 त्यागी
अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(रा0)।

बावत
खसरा नम्बर–94/2 रकबा 0.30 एकड़
मौजा लक्ष्मीपुर, परगना पछवादून
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–05/2009–10 अन्तर्गत धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम अब्दुल सलाम बनाम गांवसभा लक्ष्मीपुर आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 14–07–2010 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता श्री अब्दुल सलाम की ओर से न्यायालय कलेक्टर, देहरादून के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–28 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के पिता स्व0 जालूदीन पुत्र नत्था निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर परगना पछवादून, तहसील विकासनगर को भूमि खसरा नम्बर–94/2 रकबा 0.30 एकड़ कृषि हेतु फसली वर्ष 1383 में पट्टा आवंटित किया गया था। पट्टे का अमल दरामद खतौनी के सम्बन्धित खाते में बंजर झाडी पर हो गया था। खसरा नम्बर–94 का कुल रकबा 3.69 एकड़ था, जिसमें आवंटन के समय बटा नम्बर देकर खसरा नम्बर–94/1 रकबा 3.3 एकड़ नाकाबिलेकाश्त पाकर आवंटन से बाहर रखा गया और खसरा नम्बर–94/2 रकबा 0.3 एकड़ काबिलेकाश्त करार देकर उसका आवंटन कर दिया। आवंटन के लेआउट प्लान पर खसरा नम्बर 94/2 एवं पक्की सड़क तथा खसरा नम्बर–66 के बीच मौके पर चल रही गूल से सटा हुआ खसरा नम्बर–94/2 रकबा 0.30 एकड़ चिन्हित किया गया तथा आवंटन के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता को लेआउट प्लान के अनुसार देहरादून से चकराता रोड़ के खसरा नम्बर–66 से लगती हुई गूल और उसके पूरब में खसरा नम्बर–94/2 पर जो लेआउट प्लान में काटा था, के अनुसार प्रार्थी का कब्जा है तथा उसके पिता की वसीयत के अनुसार प्रार्थी का नाम पिता की मृत्यु के बाद कागजात माल में दर्ज हुआ। परन्तु फसली वर्ष 1400 में सर्वेक्षण व अभिलेख प्रकियाओं के बाद गाँव के नये नम्बर बनाये गये और अभिलेख कियाओं के फसली वर्ष 1400 के भूचित्र पर

खसरा संख्या–99 व 100 की आकृतियां गलत बनाई गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी प्रार्थना की कि पुराने खसरा नम्बर–94 के कागजात बटे खसरा संख्या–94/1 रकबा 3.39 एकड़ व खसरा नम्बर–94/2 रकबा 0.3. एकड़ थी, उसके मुताबिक बटावारा फर्द मुताबिकत नहीं बनाई गई, बल्कि खसरा नम्बर;4 के मिलजुमला प्रदर्शित करते हुए नये खसरा नम्बर–34, 35, 36, 37, 98, 99, 100, 101, 105, 109, 119 और 104 बनाये गये। इस प्रकार खसरा नम्बर–99 व 100 जिसका पुराना नम्बर–94/2 है, से भूमि आवंटन के लेआउट प्लान के अनुसार बनाई गई है, जो उनके पिता के जीवनकाल तथा उनके पश्चात प्रार्थी के कब्जे में है। खसरा नम्बर–94/2 के उस भाग जिसमें नई खसरा संख्या–100 देकर पृथक मानचित्र पर आकृति बनाई गई है उसमें प्रार्थी की आबादी, दुकाने व नीव भरी हुई है तथा खसरा नम्बर–99 की आकृति वाले भाग को मिलाकर पुराने खसरा नम्बर–94/2 का खेत था अर्थात नई खसरा संख्या–99 व 100 पुरानी खसरा नम्बर 94/2 रकबा 0.30 एकड़ अर्थात 0.1210 है0 रकबे में शामिल है। सर्वेक्षण के दौरान मानचित्र पर नये खसरा नम्बर–99 व 100 की आकृति पृथक–पृथक बनाने तथा मौके के विपरीत रकबा बराबरी की गलती के कारण नये खसरा नम्बर–99 की मानचित्र पर बनाई गई आकृति का जो वास्तव में 0.0910 बनता था, प्रार्थी के पुराने खसरा संख्या–94/2 के रकबे 0.30 एकड़ के बराबर रकबा 0.1210 है0 दर्ज कर दिया और खसरा नम्बर–100 को मानचित्र एवं रकबा बराबरी की गलती से रकबा 0.0300 है0 लिखकर बंजर झाडी के खाता संख्या– 324 में दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या–100 व 99 के मध्य की मेढ़ मानचित्र पर समाप्त करने एवं मौके की पैमाईश कराकर मौके के अनुसार खसरा संख्या–99 का रकबा 0.1200 है0 के बजाय 0.0910 है0 दर्ज करने एवं नये खसरा नम्बर–100 रकबा 0.0300 है0 जिसका पुराना नम्बर–94/2 है प्रार्थी के खाता संख्या–00012 में अंकित करने का अनुरोध किया गया। उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने वाद निर्णयादेश दिनांक 14–07–2010 द्वारा इस आशय से निरस्त किया कि प्रार्थी नक्शा दुरस्ती के साथ–साथ खसरा नम्बरों में भी संशोधन चाहता है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) को राज्य सरकार की ओर से तथा पक्षकार बनाये जाने हेतु अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सिविल प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण श्री फखरूद्दीन, श्री इकबाल अहमद, मौ0 हसन एवं श्री अब्दुल रहमान के अधिवक्ता सहित सुना तथा अवर न्यायालयों के अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण यह मानते हैं कि निगरानीकर्ता के पिता को पूर्व में खसरा नम्बर–94/2 क्षेत्रफल 0.1210 है0 भूमि आवंटित हुआ था। अभिलेख संकिया के उपरान्त खसरा नम्बर–94/2 के नये खसरा नम्बर–99 व 100 बनाये गये। राजस्व भूचित्र पर खसरा नम्बर–99 व 100 की आकृतियां मौके तथा आवंटन लेआउट प्लान के विपरीत हैं। यदि

खसरा–99 व 100 के मध्य की रेखा को मिटा दिया जाता है तो तद्नुसार आवंटित भूमि का रकबा पूरा बनता है। स्थल मानचित्र तथा खसरा नम्बरों में विसंगति सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि लेखपाल की आख्या दिनांक 24–05–2010 जिसे राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है से भी प्रथम दृष्टया होती है। तद्नुसार प्रकरण मानचित्र एवं क्षेत्रफल दुरस्ती दोनों का ही बनता है। विद्वान कलेक्टर ने खसरा नम्बरों में संशोधन के आधार पर निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर उनमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। स्मरणीय है कि राजस्व अभिलेखों (राजस्व भूचित्र सहित) की त्रुटियां संज्ञानित होने पर कलेक्टर का दायित्व है कि वह उन्हें शुद्ध करायें। विद्वान कलेक्टर का आक्षेपित आदेश दिनांक 14–07–2010 एक सुविवेचित एवं सुव्यक्त (reasoned and speaking) आदेश भी नहीं है। जबकि यह विधितः अनिवार्य है कि प्रार्थना स्वीकारने अथवा न स्वीकारने सम्बन्धी आदेश सुविवेचित एवं सुव्यक्त (reasoned and speaking) होना चाहिए। वस्तुतः आक्षेपित आदेश में तथ्यों सम्बन्धी एक विस्तृत वृतान्त के अन्त में एक सूक्ष्म निष्कर्ष (cryptic finding) अंकित है।

जहां तक निगरानीकर्ता के अन्य भाईयों का भी अपने पिता की भूमि पर बराबर का हिस्सेदार होने का कथन है, वे अपना कथन विद्वान कलेक्टर के समक्ष रखने के लिए स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार ग्रामसभा भी विद्वान कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। जैसा कि पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि जांच आख्या दिनांक 24–05–2010 में इस बात की प्रथम दृष्टया पुष्टि की जा चुकी है कि निगरानीकर्ता के पिता को आवंटित भूमि खसरा नम्बर–100 में सम्मिलित है जिसकी पुष्टि होने पर मानचित्र संशोधन अनिवार्य होगा। इस आख्या की पुष्टि एक स्तर उच्च राजस्व अधिकारी से अथवा अभिलेख इकाई के सक्षम अधिकारी से आख्या प्राप्त कर एवं सम्बन्धित पक्षकारों को ऐसी आख्या पर आपत्ति एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर ही मानचित्र एवं खसरा नम्बर संशोधन सम्बन्धी आदेश पारित किया जाना विधितः अनिवार्य होगा। लेकिन यह देखा जाना भी अनिवार्य होगा कि इस प्रकार के संशोधन से सटे हुए (adjoining) अन्य भू–स्वामी/आवंटियों के खसरों के क्षेत्रफल प्रभावित न हों। यदि आख्या एवं साक्ष्य से यह पुष्ट हो कि खसरा संख्या–99 व 100 के मध्य रेखा विलीन होना आवश्यक है जिसके फलस्वरूप खसरा संख्या–100 का क्षेत्रफल शून्य होता हो तो ऐसी स्थिति में विद्वान कलेक्टर के समक्ष यह विकल्प रहेगा कि वह निगरानीकर्ता का प्रश्नगत कुल क्षेत्रफल खसरा संख्या–99 व 100 से प्रदर्शित किये जाने का आदेश दें, क्योंकि खसरा संख्या–100 का अस्तित्व अभिलेख संक्रिया में ही समाप्त हो सकेगा।

आदेश

अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 14–07–2010 खण्ड़ित किया जाता है एवं प्रकरण पूर्व के प्रस्तरों में अंकित मन्तव्य के अनुसार पुनः निस्तारित

किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकार बनने/सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों की प्रतियाँ भी अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाय।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **03--04--2014** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।